कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सी०सी०एल०)

- 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा, जो अपराध करता है
- 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, जो किशोर न्याय समिति द्वारा अपराध करता पाया जाता है

बच्चे द्वारा किये गए अपराधों के प्रकार

छोटे अपराध	घोर अपराध	जघन्य अपराध
अधिकतम दंड तीन वर्ष तक के कारावास का है	अधिकतम दंड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है	न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है
उदाहरण नुकसान, धोखा, चोरी	**उदाहरण यौन उत्पीडन, एक अपराधी को शरण देना**	**उदाहरण डकैती, हत्या, बलात्कार**

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए संस्थान

- विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)
- किशोर न्याय बोर्ड (JJB)
- संप्रेक्षण गृह (OBSERVATION HOME)
- विशेष गृह (SPECIAL HOME)

किशोर न्याय समिति के प्रमुख कार्य

- बालक को पकड़ने, उसकी जाँच, देखभाल और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया के दौरान बालक के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- कानूनी सेवा संस्थानों के माध्यम से बालक के लिए कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- यदि बालक कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को समझने में विफल रहता है, तो उसे दुभाषिया या अनुवादक उपलब्ध कराना
- सामाजिक जाँचु शरू करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी (प्रोबेशन ऑफिसर) या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को निर्देश देना, ताकि पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे जिन आवासों में रहते हैं, उन संस्थानों का हर महीने कम से कम एक बार निरीक्षण करना और सुधार के लिए कार्यवाही की सिफारिश करना
- किसी बच्चे के खिलाफ होने वाले अपराध के लिए एफ०आई०आर० (प्राथमिकी) दर्ज करने हेतु पुलिस को आदेश देना
- वयस्कों के जेलों का नियमित निरीक्षण करना, यह जांचने के लिए कि क्या किसी बालक को ऐसी जेल में रखा गया है| यदि कोई ऐसा बालक है, तो उसे संप्रेक्षण गृह (ऑब्जरवेशन होम) में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल उपाय करना

जघन्य अपराध करने वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

पुलिस

- बालक को बिना देर किये, पकडे जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा
- बालक के माता-पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा
- बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट बनाई जायेगी

यदि बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का है, तो किशोर न्याय समिति जांच करती है तथा जांच के दौरान सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, सामाजिक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखती है

यदि बच्चा 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है, तो किशोर न्याय समिति 3 महीने के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन करती है, जो कि एक परीक्षण नहीं है, बल्कि यह देखने के लिए एक मूल्यांकन है कि बच्चे ने अपराध 'बच्चे जैसे दिमाग' के साथ किया है अथवा 'वयस्क सामान दिमाग' के साथ

जांच के बाद, किशोर न्याय समिति (जे०जे०बी०) बच्चे को सुधार के लिए "विशेष गृह" भेज सकती है, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी

यदि अपराध 'बच्चे जैसे दिमाग' के साथ किया जाता है, तो किशोर न्याय समिति जाँच करके बच्चे को 'विशेष गृह' भेज सकती है, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी

यदि अपराध 'वयस्क सामान दिमाग' के साथ किया जाता है, तो किशोर न्याय समिति मामले को जांच और परीक्षण के लिए बच्चों के न्यायालय में स्थानांतरित करती है| बच्चे को अपराध के अनुसार सजा दी जा सकती है, जो तीन साल से अधिक हो सकती है

किशोर न्याय समिति या बाल न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश में बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल है; साथ ही परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी गैर-सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा फॉलो-अप (अनुवर्ती कार्यवाही) भी शामिल है

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

निकट-नन्दा की चौकी, विकासनगर रोड,
पो.ओ. - चन्दनवाड़ी, देहरादून - 248007 (उत्तराखण्ड)
फोन : 9258127046 (व्हाट्सप)
Email: scpcr.uk@gmail.com | Website : www.scpcruk.org.in

scpcr.uk

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

सी०एन०सी०पी०
सी०सी०एल०

देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में अनिवार्य रिपोर्टिंग

यदि कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या नर्सिंग होम या अस्पताल या मातृत्व गृह का कोई अधिकारी, जो एक परित्यक्त या खोये हुए बच्चे को ढूँढता है या उसका प्रभार लेता है या बच्चे को बाल देखभाल संस्थान को सौंप दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे के बारे में अनिवार्य रूप से चौबीस घंटे के भीतर निम्न को सूचना देने की आवश्यकता होती है:

- चाइल्डलाइन सेवा– 1098
- नजदीकी पुलिस स्टेशन
- बाल कल्याण समिति
- जिला बाल संरक्षण इकाई
- बाल देखभाल संस्थान

यदि ऐसे बच्चे के संबंध में जानकारी चौबीस घंटे के भीतर नहीं दी जाती है, तो यह अपराध छह माह तक के कारावास या दस हज़ार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है|

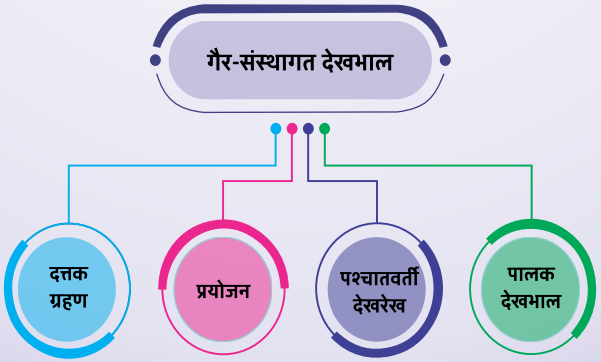

बाल कल्याण समिति की जाँच प्रक्रिया

क्षेत्राधिकार का पता लगाने के लिए बालक की उम्र का निर्धारण

↓

15 दिनों के भीतर सामाजिक जाँच पूरी करने के लिए किसी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ को मामला सौंपना

↓

बच्चे का साक्षात्कार संवेदनशीलता के साथ तथा बच्चे के अनुकूल तरीके से लें

↓

बच्चे को परिवार में वापस भेजा जा सकता है या नहीं, यह समझने के लिए बच्चे की पारिवारिक स्थिति का आकलन प्रदान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को आदेश

↓

बच्चे के व्यापक विकास के लिए बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना के विकास के आदेश के साथ-साथ चार महीने के भीतर पूरी जाँच और अंतिम आदेश पारित करें

बच्चे और माता-पिता/ अभिभावकों की काउंसलिंग (सलाह) के बाद बच्चे को परिवार में वापस भेज दें	बच्चे को बाल गृह, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, उचित सुविधा, उचित व्यक्ति या पालक देखभाल में रखें

बच्चे को कौन बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ?

- कोई भी लोक सेवक
- कोई पुलिसकर्मी
- कोई सरकारी अधिकारी
- चाइल्डलाइन (1098) या कोई अन्य गैर-सरकारी संस्थान (एन०जी०ओ०)
- कोई भी उत्साही नागरिक
- चिकित्सा से संबंधित कोई भी सदस्य
- बालक

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सी०एन०सी०पी०)

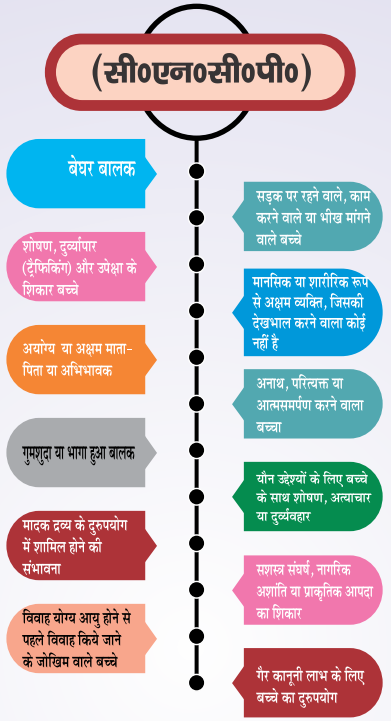

बाल कल्याण समिति (सीएसडब्ल्यू) की संरचना

बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं जिसमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी बाल कल्याण समिति का कम से कम एक सदस्य आपातकालीन स्थितियों में (छुट्टियों सहित) मामलों की सुनवाई के लिए हमेशा उपस्थित रहता है।

बाल कल्याण समिति के प्रमुख कार्य

- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित जाँच का संचालन
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थागत और गैर-संस्थागत पुनर्वास के लिए आदेश पारित करना
- उन बच्चों तक पहुंचना, जो समिति के सामने नहीं लाये जा सकते
- अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने योग्य घोषित करना
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए घरों का निरीक्षण करना
- परिवार से बिछड़े हुए बच्चों को फिर से स्थापित करने के लिए सभी प्रयास करना